"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (4) वर्ष 2009-10

क्रमांक /अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.—आवेदक श्री ए. के. गौड़ अध्यक्ष बाबूजी एजूकेशनल ए चेरीटेबल ट्रस्ट, मकान नं. डी. 334, सेक्टर - 5, टैगोर नगर रायपुर ने बाबूजी एजूकेशनल ए चेरीटेबल ट्रस्ट, मकान नं. डी. 334, सेक्टर - 5, टैगोर नगर रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 28-01-2011 तक न्यायालयीन अवधि में स्वंय या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : बाबूजी एजूकेशनल ए चेरीटेबल ट्रस्ट, मकान नं. डी. 334, सेक्टर - 5 टैगोर नगर रायपुर.

2.	चल संपत्ति	:	रु. 2000/- नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31-12-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 5 जनवरी 2011

संशोधित आदेश

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/06-2010/07.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/उपकां/परिसंमापन/सह./09/724 दिनांक 09-11-09 में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-73/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 के द्वारा मुझमें वैष्टित है, का प्रयोग करते हुए मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ श्री जगदीश मरकाम सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अन्तागढ़ को प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पोड़गांव पं. क्र. -415 दिनांक 28-02-97 तह. अन्तागढ़ का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 05-01-2011 को जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ. ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक/स. प. को./परि./2010-11/360.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./10/133 दिनांक 02-06-2010 द्वारा कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर संतोषप्रद प्राप्त न होने के कारण एवं छ. ग. सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के निरीक्षण उपरांत यह प्रमाणित होता है कि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार जनकपुर पंजीयन क्रमांक 24 दिनांक 19-08-2004 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान संचालन के संबंध में शासकीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है.

अतः छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/5/1/99 छ. ग. शासन/15-1 डी/दिनांक 26-07-99 पृ. क्र./1089/(20) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विनोद बनुकर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरिया, बैकुण्ठपुर. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार जनकपुर पंजीयन क्रमांक 24 दिनांक 19-08-2004 को परिसमापन में लाता हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री विद्यमान सिंह सह. वि. अ. मनेन्द्रगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

विनोद बुनकर,
सहा. पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक/उपंको/परि./2010/977.—विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., गढ़ उपरोड़ा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3355 दिनांक 14-12-1988 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./861/दिनांक 31-10-2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा विस्था. मछुआ सहकारी समिति मर्या., गढ़ उपरोड़ा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए विस्था. मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गढ़ उपरोड़ा विकासखंड कोरबा पंजीयन क्रमांक 3355 दिनांक 14-12-1988 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक/उपंको/परि./2010/978.—विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सतरेंगा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3354 दिनांक 14-12-1988 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./862/दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा विस्था. मछुआ सहकारी समिति मर्या., सतरेंगा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सतरेंगा विकासखंड कोरबा पंजीयन क्रमांक 3354 दिनांक 14-12-1988 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक/उपंको/परि./2010/979.—मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनगुढ़ा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2987 दिनांक 27-12-2009 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./863/दिनांक 31-10-2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनगुढ़ा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कटघोरा विकासखंड कोरबा पंजीयन क्रमांक 2987 दिनांक 27-12-2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
प्र. उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.